रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एन.)-72 REGISTERED No. D. (D.N.)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 146] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मई 3, 1984/वैशाख 13, 1906
No. 146] NEW DELHI, THURSDAY, MAY 3, 1984/VAISAKHA 13, 1906

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)
अधिसूचना

नई दिल्ली, 3 मई, 1984

सं० 121/84–सीमाशुल्क

सा०का०नि० 323(अ) :—केन्द्रीय सरकार, सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अपना यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय

के राजस्व विभाग की अधिसूचना सं० 13 सीमाशुल्क तारीख 9 फरवरी, 1981 का निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात :—

उक्त अधिसूचना की सारणी में क्रम संख्यांक 4 से 8 और उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित क्रम संख्यांक और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात:—

1	2
"4.	उत्पादन मशीनरी के फालतू पुर्जे।
5.	माल के विनिर्माण के लिए अपेक्षित खपने वाली सामग्री।
6.	सामग्री की उठाई-धराई करने वाले उपस्कर जैसे फोर्कलिफट और शिरोपरि क्रेन।
7.	नमूने मूलाकृति, जो विनिर्माण के क्रियाकलाप के प्रत्येक प्रकार के दो से अधिक न हों।
8.	विनिर्माण के क्रियाकलाप से संबंधित रेखाचित्र, ब्ल्यूप्रिंट, तकनीकी नक्शे और चार्ट।"

[फा० सं० 370/36/84-सीमा-शुल्क-1]

एम० एन० विश्वास अवर सचिव,

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 3rd May, 1984

NO. 121/84-CUSTOMS

G.S.R. 323(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby makes the following further amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance, Department of Revenue, No. 13-Customs, dated the 9th February, 1981, namely:—

In the said notification, in the Table, for serial numbers 4 to 8 and the entries relating thereto, the following serial numbers and entries shall be substituted, namely:

1	2
"4.	Spares of production machinery.
5.	Consumables required for manufacture of goods.
6.	Material handling equipments namely fork-lifts and overhead cranes.
7.	Sample/Prototypes, not exceeding two in number of each type of articles covered by the manufacturing activity.
8.	Drawing, blue prints, technical maps and Charts relating to the manufacturing activity.".

[F. No. 370/36/84—CUS-I.]

M. N. Biswas, Under Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1984